भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक **04 अक्तूबर**, 2021

(असाधारण भाग I—खंड-1)

अधिसूचना

सरकारी प्रतिभूतियों (जीएस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2021:भारत सरकार एतद्द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है:

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ में)
4.26% सरकारी प्रतिभूति, 2023	17 मई, 2021	02-00-00	17 मई, 2023	मूल्य	समान	2,000
5.63% सरकारी प्रतिभूति, 2026	12 अप्रैल, 2021	05-00-00	12 अप्रैल, 2026	मूल्य	समान	6,000
6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2035	13 सितम्बर,2021	14-03-02	15 दिसम्बर, 2035	मूल्य	समान	9,000
6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2050	02 नवंबर, 2020	30-01-15	17 दिसम्बर, 2050	मूल्य	विविध	7,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से एक या एक से अधिक के लिए 2,000 रुपए करोड़ प्रत्येक की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डबलयूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आवंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम **(अनुबंध)** के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियां पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **08 अक्तूबर, 2021** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **08 अक्तूबर, 2021** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 01.00 के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 1.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर **08 अक्तूबर, 2021** को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **11 अक्तूबर, 2021** अर्थात् **पुनर्निर्गम** की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान

6. **मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख** से प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर **सममूल्य** पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
4.26% सरकारी प्रतिभूति 2023	4.26	नई प्रतिभूति	10 अक्तूबर, 2021	17 नवंबर और 17 मई
5.63% सरकारी प्रतिभूति 2026	5.63	नई प्रतिभूति	10 अक्तूबर, 2021	12 अक्तूबर और 12 अप्रैल
6.67% सरकारी प्रतिभूति 2035	6.67	नई प्रतिभूति	10 अक्तूबर, 2021	15 दिसम्बर और 15 जून
6.67% सरकारी प्रतिभूति 2050	6.67	17 जून 2021	10 अक्तूबर, 2021	17 दिसम्बर और 17 जून

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

आशीष वच्छानी

(आशीष वच्छानी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार